Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone :0141-5159699,5159604 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in
Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

कार्यालय आदेश

क्रमांक एफ16 (जनरल– 47)/राप्रनिम/हजार्डियस/पार्ट–1/1322 दिनांक 25/12/19

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/मण्डल/निगम/एजेन्सी/प्राधिकरणों एवं अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाओं द्वारा उपयोग के पश्चात् बेकार टायरों का अपने स्तर पर निस्तारण किया जाता है, परन्तु बेकार टायरों की नीलामी/बेचान के दौरान बोलीदाता/क्रेता के पास बेकार टायरों के पुनः उपयोग अथवा पुनः चक्रण (रिसाइक्लिग) हेतु पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था होने एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से वैध प्राधिकार होने का प्रमाण नहीं लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के अन्तर्गत अन्य अपशिष्ट (कचरा) जिसमें रबर अपशिष्ट भी शामिल है, के संबंध में निम्न प्रावधान हैः–

नियम 6 – परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट(Hazardous & Other Waste), जिसमें बेकार टायर भी शामिल है, के हथालन, उत्पादन, संकलन, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन, उपयोग, उपचार, प्रोसेसिंग, पुनःचक्रण, रिकवरी, प्री–प्रोसेसिंग, सह–संस्करण, बिक्री, स्थानान्तरण एवं निपटान में संलग्न प्रत्येक अधिभोगी(Occupier) को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राधिकार(Authorization) प्राप्त करना अनिवार्य है।

नियम 9 – उत्पादक के परिसर सहित संसाधन के रूप में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का उपयोग, सह–प्रसंस्करण या किसी अन्य प्रयोग के लिए पूर्व प्रसंस्करण, केवल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों या मानक के आधार पर अपशिष्ट के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा बेकार टायरों के पुनर्चक्रण हेतु स्थापित पायरोलिसिस प्लाण्टों के पर्यावरणीय सक्षम परिचालन हेतु वांछित तकनीकी आवश्यकताओं के संदर्भ में स्टेण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (दिशा निर्देश) जारी किये गये हैं। ऐसे व्यक्तियों, जो पर्यावरणीय अनुकूल पद्धति नहीं अपनाते हैं अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से वैध प्राधिकार प्राप्त नही है, को बेकार टायरों का विक्रय पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न करता है तथा ऐसा करना परिसंकटयम एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में बेकार टायरो के विक्रय अथवा विक्रय हेतु नीलामी प्रक्रिया में केवल उन्ही व्यक्तियों/संस्थानो/उधोगों को अनुज्ञान किया जायेगा, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से परिसंकटयम एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के लिए अंतर्गत वैध प्राधिकार प्राप्त है। नीलामीकर्ता/विक्रेता प्राधिकारी, उक्त निर्देशो की अनुपालना हेतु उतरदायी होंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

– 11 –
(शैलजा देवल)
सदस्य सचिव

क्रमांक एफ16 (जनरल– 47)/राप्रनिम/हजार्डियस/पार्ट–1/1322 दिनांक 25/12/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली–कृपया समस्त राजकीय संस्थाओं एवं टायरों के थोक उपभोक्ताओ को बेकार टायरो का विक्रय उन व्यक्तियों एवं उद्योगो को ही करने के निर्देश जारी

Scanned by CamScanner

करने का कष्ट करावे, जिनके द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंण्डल से वैध प्राधिकार प्राप्त किया गया है एवं इस प्रावधान को बेकार टायरो के पुनःचक्रण पुनःउपयोग/रिप्रोसेसिंग हेतु जारी एस.ओ.पी. में भी शामिल करने का कष्ट करावे।

2. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंण्डल, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त, राजस्थान सरकार, सहकार मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर।
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, पर्यावरण मार्ग, चौमू हाउस, जयपुर – 302001.
5. प्रबंध निदेशक, जयपुर शहर परिवहन सेवा लिमिटेड, दूसरी मंजिल, ओल्ड वर्किंग वुमन होस्टल, पुलिस हेडक्वार्टर के पास, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर – 302015.
6. वरिष्ठ उपसचिव, मोटर गैराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. नियंत्रक, राज्य मोटर गैराज, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. अतिरिक्त निजी सचिव,सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंण्डल, जयपुर।
10. मुख्य पर्यावरण अभियंता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंण्डल, जयपुर।
11. शाखा प्रभारी सी.पी.पी./माईन्स/एच.ओ.पी./एस.सी.एम.जी./एम.यू.आई.डी./एच.एस. डब्ल्यू/बी.एम. डब्ल्यू/सी.डी./पी.डी.एफ/प्रोजेक्ट/जल उपकरण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
12. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर (उतर), जयपुर (दक्षिण), अलवर, भिवाडी, भीलवाडा, बालोतरा, बीकानेर, पाली, उदयपुर, किशनगढ, चितौडगढ़, भरतरपुर, जोधपुर, सीकर, कोटा। कृपया उक्त आदेश आपके अधिकार क्षेत्र में स्थित ट्रांसपोर्टर्स की सभी प्रमुख यूनियनों के संज्ञान मे लाने का कष्ट करें।
13. अध्यक्ष, जयपुर ट्रांसपोर्ट एंड ओपेरेटर्स एसोसिएशनस, एफ–19, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर 302003.
14. अध्यक्ष, विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनस, जोडला, सीकर रोड, हरमाड़ा, जयपुर 302013, राजस्थान।
15. शाखा प्रभारी (आई. टी.), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
16. राजस्थान की समस्त ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन्स।
17. मास्टर फाइल।

सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner